

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 197] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 1972/चैत्र 22, 1894

No. 197] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 1972/CHAITRA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 1972

S. O. 282(E) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 63A of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), the Central Government hereby appoints Shri K. Sivaraj, Joint Secretary, Ministry of Shipping and Transport, Government of India, as Chairman of the Inter State Transport Commission *vice* Shri K. Narayanan, retired, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping and Transport No. S.O. 1618, dated, the 11th April, 1969, namely :—

In the said notification, for item (1) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be substituted, namely :—

“(1) Shri K. Sivaraj, Joint Secretary, Ministry of Shipping and Transport, Government of India. —*Chairman*”.

[No. 23-T(11)/67]
G.C. BAVEJA, Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1972

एस० आ० 282(अ)—मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री के० शिवराज, संयुक्त सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को श्री के० नारायणन, सेवा निवृत्त के स्थान पर अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० आ० 1618 तारीख 11 अप्रैल 1969 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में मव (1) और तत्संबंधी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

- (1) श्री के० शिवराज, संयुक्त सचिव,
नौवहन और परिवहन मंत्रालय
भारत सरकार—अध्यक्ष

[सं० 23-टी(11)/67]

जी० सी० बवेजा, संयुक्त सचिव ।